राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(अनुभाग–3, नरेगा)

क्रमांक एफ 11(8)/ग्रावि./नरेगा/पद सृजन/2010 पार्ट–I जयपुर दिनांक

26 MAR 2015

कार्यालय आदेश

इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 13.10.2014 के द्वारा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के प्रभावी क्रियान्वयन एवं प्रबन्धन हेतु राज्य स्तर पर गठित राजस्थान ग्रामीण रोजगार गारंटी परिषद तथा सभी जिला परिषदों/पंचायत समितियों/ग्राम पंचायतों में संविदा/प्रतिनियुक्ति पर सृजित पदों पर पहले से प्रतिनियुक्त एवं संविदा कार्मिकों की समयावधि निरन्तर जारी रखते हुये दिनांक 28.02.2015 तक बढायी जाने की स्वीकृति प्रदान की गई थी।

महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत केवल कार्यरत संविदा/प्रतिनियुक्ति पदों की समयावधि दिनांक 30.06.2015 तक बढाये जाने की सहमति इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि भारत सरकार से प्राप्त होने वाली राशि के मध्येनजर अनुमत 6 प्रतिशत प्रशासनिक व्यय के अन्तर्गत व्यय सीमित रखा जाना सुनिश्चित किया जावे। यह स्वीकृति वित्त विभाग की आईडी संख्या 101501043 दिनांक 23.03.2015 द्वारा प्रदत्त सहमति के अनुसरण में जारी की जाती है।

नरेगा योजनान्तर्गत कार्यरत संविदा कार्मिकों के 28.02.2015 तक की अवधि के कार्यो का मूल्यांकन करने के उपरान्त कार्य संतोषजनक पाये जाने एवं पूर्ण संतुष्टि होने पर ही इनकी अनुबन्ध अवधि 30.06.2015 तक बढाई जाने की कार्यवाही की जावे।

25/3/15

(रोहित कुमार)
आयुक्त, ईजीएस

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
3. निजी सचिव, शासन सचिव ग्रामीण विकास विभाग, जयपुर।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, पंचायतीराज विभाग।
5. निजी सचिव, आयुक्त, ईजीएस।
6. जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक, ईजीएस, समस्त राजस्थान।
7. परि.निदे.एवं उप सचिव, ईजीएस।
8. अतिरिक्त आयुक्त (प्रथम/द्वितीय) ईजीएस।
9. वित्तीय सलाहकार, ईजीएस।
10. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (नियम) विभाग, जयपुर।
11. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय–5) विभाग, जयपुर।
12. संयुक्त शासन सचिव (प्रशासन) ग्रामीण विकास (अनुभाग–1) विभाग, जयपुर।
13. अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक, ईजीएस एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद समस्त राजस्थान।
14. रक्षित पत्रावली।

अतिरिक्त आयुक्त (प्रथम), ईजीएस